अनुबन्ध - 9

विदेशी सहायता

इस अनुबंध में मित्र देशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से ऋणों, अनुदानों और वस्तुओं के रूप में मिली सहायता की मात्रा तथा उसके स्वरूप का विवरण संक्षिप्त रूप में दिया गया है। वर्ष 2010-2011 तथा 2011-2012 में, जो विदेशी सहायता मिली है, उसके मूलधन की वापसी-अदायगी तथा ब्याज की अदायगी के अनुमानों को नीचे दी गई सारणी में संक्षेप में दिखाया गया है:-

(करोड़ रुपए)

	वास्तविक 2009-2010	बजट अनुमान 2010-2011	संशोधित अनुमान 2010-2011	बजट अनुमान 2011-2012
क. ऋण	22177.20	34735.42	33947.05	26820.13
ख. नकद अनुदान	3095.60	2060.17	2715.63	2172.96
ग. वस्तु अनुदान सहायता	45.85	...	40.00	...
घ. जोड़ (क+ख+ग)	**25318.65**	**36795.59**	**36702.68**	**28993.09**
ङ ऋणों की वापसी-अदायगी	11139.64	12271.33	11683.24	12320.13
च. विदेशी सहायता (वापसी अदायगी को घटाकर) (घ-ङ)	**14179.01**	**24524.26**	**25019.44**	**16672.96**
छ. ऋणों पर ब्याज अदायगी	3629.04	3745.99	3150.86	3572.22
ज. विदेशी सहायता (वापसी-अदायगी तथा ब्याज अदायगी को घटाकर) (च-छ)	**10549.97**	**20778.27**	**21868.59**	**13100.74**

द्विपक्षीय विकास सहयोग नीति के अनुसार जी-8 के सभी देशों नामतः संयुक्त राज्य अमेरिका, यू.के., जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा और रुसी संघ के साथ यूरोपीय संघ से द्विपक्षीय विकास सहायता प्राप्त की जा रही है।

उन द्विपक्षीय विकास साझेदारों, जिनसे सरकारी स्तर पर विकास सहायता प्राप्त न करने का निर्णय लिया गया है, को सलाह दी गई है कि वे अपनी विकास सहायता भारत में गैर-सरकारी संगठनों और विश्वविद्यालयों आदि को प्रदान करने पर विचार करें। यह भी सुझाव दिया गया है कि वे अपनी विकास सहायता बहुपक्षीय विकास अभिकरणों के माध्यम से देने पर विचार करें।

विभिन्न देशों और संगठनों से जो सहायता मिली है उसका संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(क) द्विपक्षीय

I. फ्रांस

1. वर्ष 2006 में फ्रांस सरकार ने फ्रेंच एजेंसी फॉर डेवेलपमेंट (एएफडी) के जरिए भारत को निशर्त विकास सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया था। 25.1.2008 को फ्रांस के राष्ट्रपति की भारत की शासकीय यात्रा के दौरान दो सरकारों के बीच-एक अंतर सरकारी करार पर हस्ताक्षर हुए। इसके अनुसरण में आर्थिक कार्य विभाग और एएफडी के बीच 29.9.2008 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौता ज्ञापन में प्राथमिकता क्षेत्रों पर परस्पर समझौता, पोर्टफोलियों प्रक्रियाओं; वित्तीय लिखतों, रियायतों आदि को कवर किया जाएगा।

2. एएफडी पोर्टफोलियों में अन्य बातों के साथ-साथ (i) ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा और सार्वजनिक परिवहन (ii) जैव विविधता का संरक्षण और (iii) नए और संक्रमक रोगों के फैलने पर रोक तथा वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं के सतत् प्रबंधन की परियोजनाओं पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

3. 2009-10 के दौरान-एएफडी ने इरेडा के लिए 70 मिलियन यूरो और सिडबी के लिए 50 मिलियन पाउंड की ऋण-श्रृंखला की वचनबद्धता की थी और 2010-11 के दौरान एएफडी ने 'असम वन प्रबंधन परियोजना के लिए 54 मिलियन यूरो और 'जोधपुर में शहरी जलापूर्ति योजना परियोजना का पुनर्गठन' के लिए 71.1 मिलियन यूरो की निधियों की वचनबद्धता का प्रस्ताव किया है।

II. जर्मनी

जर्मनी भारत के द्विपक्षीय विकास सहयोग भागीदारों में से एक है। जर्मनी वर्ष 1958 से भारत को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। वित्तीय सहायता मुख्यतया कम ब्याज वाले ऋण, घटाए गए ब्याज वाले ऋण, विकास ऋण के साथ-साथ केएफडब्ल्यू, जो जर्मन सरकार का विकास बैंक है, के माध्यम से अनुदानों के रूप में प्रदान की गई है। तकनीकी सहायता जीटीजेड, जो जर्मन सरकार का पूर्ण स्वामित्व वाला निगम है, के जरिए अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। भारत जर्मन विकास सहायता कार्यक्रम में ऊर्जा क्षमता, नवीकरणीय ऊर्जा सहित ऊर्जा, क्षेत्र सुधार, शहरी और औद्योगिक पर्यावरण संरक्षण सहित पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन और ग्रामीण वित्त पोषण सहित सतत आर्थिक विकास, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाओं, एसएमई विकास और वित्त पोषण जैसे पारम्परिक सहमत क्षेत्रों में ध्यान केन्द्रित किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र से बाहर, वित्तीय सहयोग पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के लिए जारी रहेगा। जर्मन ओडीए सर्व-भारत कवरेज में होगी।

III. इटली

इटली वर्ष 1981 से भारत को रियायती ऋण के रूप में द्विपक्षीय सहायता प्रदान कर रहा है और इटली सरकार और भारत सरकार के बीच दिनांक 31.3.2009 तक 21 ऋण करारों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।

2. वर्तमान में पश्चिम बंगाल राज्य के 16 शहरों में 'जलापूर्ति तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन परियोजना' एकमात्र परियोजना चालू है। इटली इस परियोजना हेतु 25.82 मिलियन यूरो ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करा रहा है।

IV. जापान

जापान 1958 से भारत को द्विपक्षीय ऋण और अनुदान सहायता प्रदान करते आ रहा है। भारत को जापानी द्विपक्षीय ऋण सहायता, अनुदान सहायता और तकनीकी सहयोग जेआईसीए (जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग अभिकरण) द्वारा प्राप्त होती है। जापान भारत को सबसे बड़ा द्विपक्षीय दाता है।

2. 2010-11 (31 दिसम्बर 2010 की स्थिति के अनुसार) के दौरान सरकारी क्रय का कुल संवितरण 3981.97 करोड़ रुपए जबकि सरकारी अनुदान का संवितरण 1.53 करोड़ रुपए का रहा।

3. वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर प्रोजेक्ट (चरण-2) के लिए ऋण संबंधी करार पर 26.7.2010 पर हस्ताक्षर हुए हैं। निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए ऋण संबंधी करारों पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना हैः

क्रम सं.	परियोजना का नाम
1.	हिमाचल प्रदेश फसल विविधता संवर्धन परियोजना
2.	तमिलनाडु जैव विविधता संरक्षण और चरित परियोजना
3.	यमुना कार्य योजना परियोजना-III

V. रूसी परिसंघ

न्यूक्लीयर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वीवीईआर-1000 टाइप प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए 2000 मेगावाट क्षमता (दो इकाइयां) की कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना का निर्माण कर रहा है। यह परियोजना भारत गणराज्य और रूसी परिसंघ की सरकार के बीच दिनांक 20.11.1988 को हस्ताक्षरित अंतर-सरकारी करार और दिनांक 21.6.1998 को हस्ताक्षरित उसके समर्थक दस्तावेज के तहत तकनीकी सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है। अंतर-सरकारी करार/संपूरण के उपबंधों के अनुसार खर्च हो गई 85 प्रतिशत लागत को कवर करने के लिए 2600 मिलियन अमरीकी डॉलर तक का शासकीय ऋण उपलब्ध कराया गया है।

2. 2010-11 (31 दिसम्बर 2010 की स्थिति के अनुसार) के दौरान कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना के लिए सरकारी ऋणों की सहायता का उपयोग 583.86 करोड़ रुपए रहा।

VI. यूनाइटेड किंगडम (यूके)

यूनाइटेड किंगडम वर्ष 1958 से अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी) के माध्यम से भारत को द्विपक्षीय विकास सहायता प्रदान करता आ रहा है।

2. वर्तमान में यू.के. की विकास सहयोग सहायता परस्पर सहमत परियोजनाओं जैसे शिक्षा, शहरी विकास, स्वास्थ्य और ग्रामीण आजीविका गरीबी उन्मूलन के बढ़े हुए दायरे के कार्य के भीतर प्रदान की जाती है। डीएफआईडी सहायता का लगभग 40-50% भाग केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं और शेष भाग राज्य क्षेत्र परियोजना हेतु प्रदान की जाती है।

3. वित्तीय वर्ष 2010-11 (अक्तूबर 2010 तक) के दौरान, 308.50 मिलियन पाउंड (लगभग 2252 करोड़ रुपए), की अनुदान सहायता के लिए 3 नए करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

4. कन्ट्री प्लान (2009-2015) के पहले चरण में 2008-09 से 2010-11 तक डीएफआईडी ने चालू परियोजनाओं पर 825 मिलियन पाउंड की राशि प्रदान करने की वचनबद्धता की है। इसमें 582 मिलियन पाउंड की राशि 31.3.2010 तक संवितरित की जा चुकी है।

VII. संयुक्त राज्य अमरीका

संयुक्त राज्य अमरीका 1951 से भारत को आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है। संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स एजेन्सी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएआईडी) के माध्यम से वर्तमान में उपलब्ध कराई गई सहायता अनुदान के रुप में है।

ख. बहुपक्षीय

I. एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.)

भारत 1966 से एशियाई विकास बैंक (एडीबी) का संस्थापक सदस्य है। यह बैंक एशिया प्रशान्त क्षेत्र में अपने विकासशील सदस्य देशों की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को बढ़ाने में कार्यरत है। यह विकास परियोजनाओं और कार्यक्रमों को तैयार करने और निष्पादित करने में ऋण तकनीकी सहायता, और अन्य परामर्शी सेवाओं, गारंटियों, अनुदानों, नीतिगत वार्ताओं के रूप में सहायता प्रदान करता है।

2. भारत एडीबी से सरकार द्वारा जारी समग्र विदेशी ऋण प्रबंधन नीति के भीतर ऋण लेता है जिसमे दीर्घावधिक परिपक्वताओं के साथ रियायती शर्तों पर निधियां जुटाने पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। भारत ने एडीबी (सामान्य पूँजी मात्र) से 1986 से उधार लेना प्रारम्भ किया है। हालांकि, भारत एशिया विकास निधि (एडीएफ) जिससे रियायती निधिपोषण प्राप्त होता है, से आंशिक रूप से ऋण प्राप्त करने का पात्र हैं, परन्तु भारत ने जानबूझकर स्वयं को इस सुविधा से बाहर रखा है ताकि अल्पतम विकसित देश इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकें।

3. 30 सितंबर, 2009 की स्थिति के अनुसार, एडीबी के पोर्टपोलियो में 8.9 बिलियन अमरीकी डॉलर की निवल ऋण राशि सहित 58 ऋण शामिल हैं।

II. यूरोपीय संघ(ईयू)

यूरोपीय संघ(ईयू) 1976 से भारत को विकास सहयोग सहायता प्रदान कर रहा है। यह सहायता पूर्णतः अनुदान के रूप में है और वर्तमान में स्वास्थ्य और शिक्षा पर केंद्रित है।

2. ईयू द्वारा भागीदार देशों के लिए अपने देशी कार्यनीति कागजातों के जरिए बहु-वार्षिक आर्थिक और विकास सहयोग कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है। इसने 20.7.2007 को भारत 2007-2013 के लिए नया देशीय कार्यनीति दस्तावेज (सीएसपी) जारी किया था। सीएसपी के अंतर्गत दो बहुवार्षिक निर्देशात्मक कार्यक्रम (एमआईपी) होंगें। पहले एमआईपी के अंतर्गत वर्ष 2007-2010 की अवधि के लिए 260 मिलियन यूरो की कुल राशि की वचनबद्धता की गई है जिसमें स्वास्थ्य के लिए 110 मिलियन यूरो, शिक्षा के लिए 70 मिलियन यूरो और संयुक्त कार्य योजना के कार्यान्वयन हेतु 80 मिलियन यूरो शामिल है। एमआईपी-II के लिए ईयू द्वारा 2011-13 की अवधि के लिए कुल 210 मिलियन यूरो रखे गए हैं, जिसमें शिक्षा क्षेत्र के लिए 100-130 मिलियन यूरो, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 50 मिलियन यूरो एवं संयुक्त योजना के लिए 30-60 मिलियन यूरो शामिल हैं।

III. अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक (आईबीआरडी)

आईबीआरडी का लक्ष्य ऋणों, गारंटियों, गैर-ऋण सेवाओं जिनमें विश्लेषणात्मक और परामर्शी सेवाएं शामिल हैं, के माध्यम से सतत् विकास को बढ़ावा देकर मध्यम आय वाले देशों और ऋण प्राप्त करने के योग्य निर्धन देशों में गरीबी को कम करना है। बैंक की ऋणदर के विकल्प में परिवर्तनीय विस्तार के लिए परिवर्ती आधार दर (6 माह लिबोर) के साथ-साथ विस्तार शामिल है। प्रत्येक ब्याज भुगतान की तारीख को ऋण दर पुनः निर्धारित की जाती है और उन तारीखों को आरंभ ब्याज अवधियों पर लागू होती है। कोई वचनबद्धता शुल्क देना नहीं होगा और ऋण राशि का 0.25 प्रतिशत फ्रंट एंड शुल्क देना होगा।

2. आईबीआरडी का ऋणों के जरिए 30-9-2010 तक संचयी ऋण 44,371 मिलियन अमरीकी डालर है। वचनबद्धताएं विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि सिंचाई, शहरी विकास विद्युत, परिवहन, आर्थिक सुधार आदि परियोजनाओं के लिए हैं।

3. वर्ष 2009-10 (31.3.2010 तक) के दौरान 5880.93 मिलियन अमरीकी डालर की वचनबद्धता राशि के साथ 10 नई परियोजनाएं स्वीकृत की गयी।

IV. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए)

आईडीए विश्व बैंक का रियायती सहयोगी है और बैंक के गरीबी उन्मूलन अभियान को सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आईडीए सहायता विश्व के 79 निर्धनतम देशों पर केन्द्रित है जिन्हें यह ब्याज मुक्त ऋण (क्रेडिट के रूप में ज्ञात) और अन्य ऋण भिन्न सेवाएं प्रदान करता है। आईडीए अपने अधिकांश वित्तीय संसाधनों के लिए अपने 45 धनी सदस्य देशों जिसमें कुछ विकासशील देश शामिल हैं, के अंशदान पर काफी हद तक निर्भर रहता है।

2. 30.6.1987 तक अनुमोदित ऋणों की 50 वर्ष में वापसी की जानी है जिसमें 10 वर्ष की छूट अवधि शामिल है । 1.07.1987 के बाद अनुमोदित ऋणों की वापसी 35 वर्ष में की जानी है जिसमें 10 वर्ष की छूट की अवधि शामिल है। आईडीए ऋणों पर कोई ब्याज प्रभार नहीं लगता है परन्तु ऋण की संवितरित राशि पर वार्षिक 0.75 प्रतिशत का सेवा प्रभार लगता है।

3. भारत को आईडीए सहायता 1961 में शुरू हुई और यह वैदेशिक सहायता कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक है। दिनांक 30.9.2010 की स्थिति के अनुसार आईडीए द्वारा भारत को दिया गया संचयी ऋण 39,144 मिलियन अमरीकी डालर है। यह स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, कृषि, गरीबी उन्मूलन जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए है।

4. वर्ष 2009-10 के दौरान (31.3.2010 तक) 1,616 मिलियन अमरीकी डालर की वचनबद्धता सहित 7 परियोजनाएं अनुमोदित की गई;

V. अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी)

अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि की स्थापना संयुक्त राष्ट्र की 13वीं विशिष्ट एजेन्सी के रूप में 1977 में की गई थी। 165 देश आईएफएडी के सदस्य है।

2. भारत आईएफएडी के मूल सदस्य देशों में एक है। भारत ने अब तक आईएफएडी के संसाधनों में 96 मिलियन अमरीकी डालर का अंशदान किया है। 8वें पुनर्भरण के लिए, भारत ने आईएफएडी के संसाधनों में 25 मिलियन अमरीकी डालर राशि की वचनबद्धता की है और दिसम्बर 2009 में 8वें पुनर्भरण की पहली किस्त के रूप में 9 मिलियन अमरीकी डालर और अक्तूबर 2010 में दूसरी किस्त के रूप में 8 मिलियन अमरीकी डालर की अदायगी की है।

3. 1979 से आईएफएडी में कृषि, ग्रामीण विकास, जनजातीय विकास, महिला सशक्तीकरण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और ग्रामीण वित्त व्यवस्था में 656.4 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग) की प्रतिबद्धता सहित 24 परियोजनाओं को सहायता दी है। इनमें से 15 परियोजनाएं बंद हो चुकी हैं। इस समय 274.35 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता से 9 परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही है।

4. आईएफएडी ऋणों की अदायगी 40 वर्ष की अवधि में की जानी है जिसमें 10 वर्ष की छूट की अवधि शामिल है और इन पर कोई ब्याज प्रभार नहीं लगता। तथापि, बकाया ऋण राशियों पर एक प्रतिशत के तीन-चौथाई (0.75%) की दर से सेवा प्रभार लगाया जाता है।

VI. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.)

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में विकास सहयोग का सबसे बड़ा माध्यम है। यूएनडीपी का समग्र मिशन गरीबी उन्मूलन, लिंग समानता, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरणीय रक्षा को प्राथमिकता देकर स्थायी मानव विकास में क्षमता विकास के जरिए कार्यक्रम वाले देशों की सहायता करना है। यूएनडीपी द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता अनुदान के रूप में होती है।

2. यूएडीपी अपनी निधियां विभिन्न दाता देशों से स्वैच्छिक अंशदान से जुटाता है। भारत यूएनडीपी को 4.5 मिलियन अमरीकी डालर का वार्षिक अंशदान देता है, यह विकासशील देशों में से सबसे अधिक है।